

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या:- 08/2021

दायर दिनांक:- 25/02/2021

निर्णय दिनांक:- 26/07/2021

उनवान

1. गणेश पिता नन्दलाल जाति जाट निवासी-कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. दयाराम पिता नन्दलाल जाति जाट निवासी-कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
3. मु०प्रेमी पत्नि माधू जाति जाट निवासी-कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
4. श्रीमति दुर्गा उर्फ मंजू पुत्री माधू जाति जाट निवासी-कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
5. देवीलाल पिता माधू जाति जाट निवासी-कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. सुभाषसिंह दत्तक पुत्र खुमाणसिंह जाति राजपूत निवासी-कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. श्रीमति सूचनाकुँवर पत्नि सुभाषसिंह जाति राजपूत निवासी-कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

-:निर्णय:-

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण हाजिर नहीं। बार-बार आवाजे लगाई गई फिर भी अप्रार्थीगण की तरफ से कोई हाजिर नहीं हुआ। इस कारण अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अतः वकील प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500-रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा पटवार हल्का कांकरवा तहसील भूपालसागर की आराजी संख्या 3920 रकबा क्रमशः 1.51 हैक्टेयर भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



सुखाराम पिण्डेल
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला-चित्तौडगढ (राज.)



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (आर०ए०एस०)

क्रमांक/राजस्व/2021/प.(08-2021)

दिनांक :- 26.07.2021

निमित्त,

तहसीलदार
भूपालसागर

विषय :- बाबत पत्थरगढी।

1. गणेश पिता नन्दलाल जाति जाट निवासी-कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. दयाराम पिता नन्दलाल जाति जाट निवासी-कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
3. मु०प्रेमी पत्नि माधू जाति जाट निवासी-कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
4. श्रीमति दुर्गा उर्फ मंजू पुत्री माधू जाति जाट निवासी-कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
5. देवीलाल पिता माधू जाति जाट निवासी-कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. सुभाषसिंह दत्तक पुत्र खुमाणसिंह जाति राजपूत निवासी-कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. श्रीमति सूचनाकुँवर पत्नि सुभाषसिंह जाति राजपूत निवासी-कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :- 08/2021

--: प्रार्थना पत्र बाबत कराये जाने पत्थरगढी :-

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 500/- रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम कांकरवा पटवार कांकरवा तहसील भूपालसागर में स्थित आराजी संख्या 3920 रकबा क्रमशः 1.51 हैक्टेयर भूमि की उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो पत्थरगढी की जावें एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हों।

सुखाराम पिण्डेल
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला-चित्तौडगढ (राज.)